रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED NO. D. (D.S.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 - Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 269] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19 1983/आषाढ़ 28, 1905
No. 269] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 1983/ASADHA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई 1983

सा का नि. 567(अ)—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 7(2) (ख) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मद्रास स्टेट पोर्ट आफिसर को, ट्रांसपोर्ट के प्रभारी संयुक्त सचिव या उप-सचिव के स्थान पर तूतीकोरिन पत्तन के न्यासियों के बोर्ड में तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि के रूप में न्यासी नियुक्त करती है, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना भ

भा. का नि. 289(ई), दिनांक 31-3-1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 के सामने प्रविष्टि "सरकार के संयुक्त सचिव या उप सचिव, तमिलनाडु सरकार, परिवहन विभाग में परिवहन के प्रभारी" के स्थान पर "स्टेट पोर्ट आफिसर, मद्रास" प्रविष्टि रखी जाए ।

[फा. सं. पी.डब्ल्यू./पी.टी.बी.-34/82]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 1983

G.S.R. 567(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with section 7(2)(b) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the State Port Officer, Madras, as a Trustee to represent the Government of Tamil Nadu, on the Board of Trustees of the Port of Tuticorin vice the Joint Secretary or Deputy Secretary to the Government, incharge of Transport and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 289(E), dated the 31st March, 1983, namely :—

In the said notification, against Serial Number 6, for the entry "Joint Secretary or Deputy Secretary to the Government, incharge of Transport in the Transport Department, Government of Tamilnadu", the entry "State Port Officer, Madras", shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-34/82]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983